

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 59/2009

दायर दिनांक 05.06.2009

वादी	प्रतिवादीगण
1. धनेसिंह पुत्र स्वर्गीय ईश्वरसिंह, जाति-राजपूत, उम्र-53साल, निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम् 1. जगदीश, उम्र-40साल, 2. खींवारा, उम्र-36साल, 3. मुकेश, उम्र-28साल, 4. रामनिवास, उम्र-22साल, समस्त, पुत्रगण-बिडदाराम, जाति-जाट, निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 5. इसराराम पुत्र मूलाराम, उम्र-60साल, 6. जेठाराम पुत्र मूलाराम, उम्र-48साल, समस्त, निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
दिलाने कब्जा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 188, R.T.Act.

दिनांक 02.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे
व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् उपस्थित ओर से मद्दायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि,


हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद थाणू में
वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 29.16 बीघा के सम्बन्ध
में तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त भूमि का
नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी कार्यवाही करे तथा उभयपक्षकारान् को
अवगत करावे।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-.....
आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के
आज की तारीख 02.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-थाणू

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 साहिबका कलक्टर
 डीउवाना
 कोर्ट कैम्प—थाणू

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-59-2009/रीडर/2018/

दिनांक 02.05.2018

प्रेषित:-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
दिलाने कब्जा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. धनेसिंह पुत्र स्वर्गीय ईश्वरसिंह, जाति-राजपूत, उम्र-53साल, निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश, उम्र-40साल, 2. खींवाराम, उम्र-36साल, 3. मुकेश, उम्र-28साल, 4. रामनिवास, उम्र-22साल, समस्त,पुत्रगण-बिडदाराम, जाति-जाट, निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 5. इसराराम पुत्र मूलाराम, उम्र-60साल, 6. जेठाराम पुत्र मूलाराम, उम्र-48साल, समस्त,निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-थाणू

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-59-2009/रीडर/2018/

दिनांक 02.05.2018

प्रेषित:-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
दिलाने कब्जा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. धनेसिंह पुत्र स्वर्गीय ईश्वरसिंह, जाति-राजपूत, उम्र-53साल, निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश, उम्र-40साल, 2. खींवाराम, उम्र-36साल, 3. मुकेश, उम्र-28साल, 4. रामनिवास, उम्र-22साल, समस्त,पुत्रगण-बिडदाराम, जाति-जाट, निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 5. इसराराम पुत्र मूलाराम, उम्र-60साल, 6. जेठाराम पुत्र मूलाराम, उम्र-48साल, समस्त,निवासी-देवराठी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्याहित प्रभावित नहीं हो।


श्री. जगदीश कलक्टर
डीडवाना
कोट सीमा भाग